


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत श्री धीरज करमाली पिता- स्व० बाढ़ो करमाली निवासी ग्राम- कैथा , थाना- रामगढ़ , जिला- रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: सुगिया , थाना सं: 77 (रैयती) खाता सं. 33 के अधीन प्लॉट सं: 46 (गैर मजरूआ) खाता सं.1के अधीन प्लॉट सं: 02/1210, 88/1211, 106/1212, 2; कुल रकबा - 02.00 एकड़ (रैयती भूमि 0.21एकड़, जीएमजेजे- 1.79 एकड़) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_1nd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा की उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है ।


14.8.2023